email

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/सीसीआई/पार्ट/235 भोपाल दिनांक 08/12/2021

प्रति

1–संयुक्त/उपसंचालक (समस्त)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

2–सचिव (समस्त)
कृषि उपज मंडी समिति
————————— ज़िला – ————

विषयः–कपास उर्पाजन के लिये सॉफ्टवेयर डेव्हलेपमेंट एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में।

1– कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय, म0प्र0 शासन की अध्यक्षता में विषयान्र्तगत आयोजित बैठक दिनॉक 01.11.2021 में हुये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश प्राप्त हुये हैं कि मंडियों में कपास विकय को किस्मवार दर्ज किया जाये तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम विकय मूल्य होने पर अनुबंध संपादन में फेयर एवरेज क्वालिटी मात्रा का तथा जो मात्रा फेयर एवरेज क्वालिटी की न हो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

कार्यवाही– उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निर्देशित किया जाता है कि मंडी प्रांगण में न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे विकय होने वाले संव्यवहारों में अनुबंध पर एफ.ए.क्यू. या नॉन एफ.ए.क्यू. क्वालिटी को अनिवार्यतः दर्ज किया जाये।

2– उक्त बैठक के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश प्राप्त हुये हैं कि किसानों को कपास के अच्छे मूल्य दिलाने के लिये भारतीय कपास निगम के नये केन्द्रों की स्थापना सुनिश्चित की जाये।

कार्यवाही– प्रदेश के जिन मण्डी प्रांगणों में कपास विकय की जाती है उनमें किसानों को फेयर एवरेज क्वालिटी कपास का समर्थन मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चत करने के लिये भारतीय कपास निगम के नये केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिनॉक 13.12.2021 तक ऑचलिक कार्यालयों द्वारा संकलित कर अनुशंसा सहित मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

3– उक्त बैठक के निर्णयानुसार भारतीय कपास निगम को कपास स्टोरेज हेतु जिन मंडियों में स्थान की आवश्यकता है तत्संबंध में त्वरित कार्यवाही की जाये।

कार्यवाही– जिन मंडी प्रांगणों में भारतीय कपास निगम द्वारा कपास के स्टोरेज हेतु स्थान/अद्योसंरचना की मांग की जाती है, उन मंडियों के द्वारा रिक्त स्थान/अद्योसरंचना का मंडियों के लिये प्रचलित भूमि एवं अद्योसंरचना आवंटन नियम 2009 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार भारतीय कपास निगम को स्थान/अद्योसरंचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त विषय में म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जारी कार्यवाही विवरण दिनॉक 13.11.2021 की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बी–6 / नियमन / सीसीआई / पार्ट / 236 भोपाल दिनांक 08/ 12 / 2021

प्रतिलिपि :–

1/ अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।

2/ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय कपास निगम इंदौर।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

POD-2

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्र Mail/2894 दि. 16/11/2021
शाखा Add (नियमन)
नि.स. प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 12/11/2021

//कार्यवाही विवरण//

विषय :- कपास उपार्जन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एवं अन्य व्यस्थाओं के संबंध में बैठक दिनांक 01.11.2021 का कार्यवाही विवरण।

--00--

विषयांकित बैठक कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र.शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.11.2021 को आयोजित की गई। आयोजित बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित रहे -

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्री शैलेन्द्र सिंह	कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल
2.	श्री अजीत केसरी	अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3.	श्री विकास नरवाल	प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
4.	श्री चन्द्रशेखर वशिष्ठ	अपर संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
5.	श्री भगवान सहाय मीना	असिस्टेंट कॉमर्शियल एक्जक्यूटिव, भारतीय कपास निगम
6.	श्री दिनेश कुमार सनोटिया	सेक्शन ऑफिसर (वित्त), भारतीय कपास निगम
7.	श्री आनन्द भट्टाचार्य	सहायक प्रबंधक, भारतीय कपास निगम
8.	प्रीति खन्ना	वरिष्ठ सहायक (वित्त), भारतीय कपास निगम

बैठक में भारतीय कपास निगम अधिकारी द्वारा प्रदेश में वर्तमान में कपास उपार्जन के संबंध में प्रजेन्टेशन किया गया। कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है -

1. भारतीय कपास निगम द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास उपार्जन हेतु "COT ALLY" मोबाईल एप संचालित किया जा रहा है। मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से मूल्य नीचे होने पर भारतीय कपास निगम द्वारा फेयर एवरेज क्वालिटी कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित की जाती है। इस हेतु भारतीय

कपास निगम को कृषक की पहचान एवं उसके द्वारा उत्पादित मात्रा का सत्यापन कराए जाने की आवश्यकता होती है। सत्यापन के पश्चात् ही भारतीय कपास निगम द्वारा फेयर एवरेज क्वालिटी कपास क्रय की जाती है।

सत्यापन का कार्य मंडी में तत्काल किया जाना होता है मंडी समिति के पास दस्तावेज न होने से कठिनाई होती है।

कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि -

(i) भारतीय कपास निगम अपने मोबाईल एप पर कपास उत्पादक कृषकों का पंजीयन कराए। किसान द्वारा दर्ज कपास के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का सत्यापन म.प्र.शासन राजस्व विभाग के SAARA Portal के गिरदावरी डेटा से ऑनलाईन कराए जाने की व्यवस्था की जाए।

(कार्यवाही - भारतीय कपास निगम, भू-अभिलेख)

(ii) मंडी में वास्तविक किसान की पहचान आधार कार्ड, फोटो एवं बायोमेट्रिक के माध्यम से की जाए।

(कार्यवाही - भारतीय कपास निगम)

उक्त कार्यवाही भारतीय कपास निगम द्वारा दो सप्ताह में पूर्ण की जाए।

2. मंडियों में कपास विक्रय को किस्म वार दर्ज किया जाए तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे विक्रय मूल्य होने पर अनुबंध संपादन में फेयर एवरेज क्वालिटी मात्रा का तथा जो मात्रा फेयर एवरेज क्वालिटी का न हो उसका स्पष्ट लेख किया जाए।

(कार्यवाही - म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड)

3. भारतीय कपास निगम द्वारा तेलंगाना मॉडल अनुसार प्रदेश में कार्यवाही के प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, कृषि ने कहा कि कपास उपार्जन भारतीय कपास निगम द्वारा किया जाता है। यदि गेहूँ, धान, आदि या प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत उपार्जन के समान राज्य उपार्जन एजेंसी के माध्यम से उपार्जन किया जाना है तो उपार्जन कमीशन भारतीय कपास निगम द्वारा भुगतान किया जाना होगा। अत: यह भारतीय कपास निगम के कपास उपार्जन पॉलिसी से संबंधित विषय है।

4. कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय द्वारा प्रदेश में कपास की मंडियों में आवक तथा विक्रय मूल्यों की अद्यतन स्थिति एवं समीक्षा दिनांक 02.11.2021 को प्रात: 10:00 बजे कृषि उपज मंडी समिति बड़वाह, सनावद, करही, पांदुर्णा एवं सौंसर के मंडी अधिकारियों एवं संबंधित भारतीय कपास निगम अधिकारियों के साथ किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही - म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड)

5. प्रदेश में कृषक हित में भारतीय कपास निगम द्वारा कपास उपार्जन के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं नए केन्द्रों की स्थापना हेतु मंडी बोर्ड व भारतीय कपास निगम अधिकारी समन्वय कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड/ भारतीय कपास निगम)

6. प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा भारतीय कपास निगम के अधिकारियों के साथ प्रदेश में व्यवस्थित कपास उपार्जन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा उपरांत निम्ननुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया -

- भारतीय कपास निगम से किसानों के रेजिस्ट्रेशन का डेटा प्राप्त कर NIC के रिकॉर्ड से परीक्षण कराएं ताकि दोनों डेटा का Land Records/ गिरदावरी के आधार पर मिलान किया जा सके। मंडी बोर्ड समन्वय करें।

  (कार्यवाही-म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड)

- पंजीकृत किसानों के दर्ज बैंक खातों में परिवर्तन नहीं किया जाए। इन्हें verify करने हेतु 1-1 रुपये जमा करने की कार्यवाही की जा सकती है।

  (कार्यवाही- भारतीय कपास निगम)

- भारतीय कपास निगम कपास स्टोरेज हेतु जिन मंडियो में स्थान की आवश्यकता है उसमें अवगत कराएं। मंडी बोर्ड समन्वय करें।

  (कार्यवाही- म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भारतीय कपास निगम)

- मध्यप्रदेश में उत्पादित आर्गेनिक कॉटन का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से मंडी बोर्ड, भारतीय कपास निगम के साथ समन्वय कर इस संबंध में कार्य योजना तैयार करें।

  (कार्यवाही- म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड)

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

Digitally signed by JITENDRA SINGH PARIHAR
Date:Tue Nov 16 17:28:10 IST 2021
Reason:Approved

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ. क्रमांक: 1824/2021/14(AGR)(46896) भोपाल, दिनांक 12/11/2021

प्रतिलिपि :-

File No.AGR/4/0054/2020-Sec-2-14(AGR)

1. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र.भोपाल।
2. संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, म.प्र. भोपाल।
3. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर, म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, म.प्र. वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन भोपाल।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) भोपाल।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय क़पास निगम लिमिटेड, इन्दौर (म.प्र.)।

- निज सहायक, कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
- निज सहायक,अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।